भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 429

05 दिसंबर, 2023 को उत्तरार्थ

विषयः- पीएम किसान योजना की पन्द्रहवीं किस्त

429. डॉ. टी.आर. पारिवेन्धरः

सुश्री एस. जोतिमणिः

श्री वी.के. श्रीकंदनः

क्या **कृषि और किसान कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) योजना की 15वीं किस्त हाल ही में जारी की गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा आज की तिथि के अनुसार इस योजना के अंतर्गत तमिलनाडु राज्य को कुल कितनी धनराशि जारी की गई है और कुल कितने किसान लाभान्वित हुए हैं;

(ख) क्या लाभार्थियों को पीएम-किसान योजना की 15वीं किस्त जारी करने में विलंब हुआ था और यदि हां, तो विलंब के कारणों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त योजना के अंतर्गत लाभार्थियों के निधि के वार्षिक संवितरण में कमी आई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस गिरावट के क्या कारण हैं;

(घ) पीएम-किसान योजना की शुरुआत से लेकर वर्ष 2023 तक इसके लाभार्थियों की संख्या कितनी है; और

(ङ) क्या सरकार की किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए पीएम-किसान योजना के अंतर्गत 6000 रुपए की राशि में वृद्धि करने की योजना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री नरेन्द्र सिंह तोमर)

(क): पीएम-किसान योजना भूमि-धारक किसानों की वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए फरवरी 2019 में शुरू की गई एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। इस योजना के तहत, हर चार महीने में तीन समान किस्तों में 6,000/- रुपये प्रति वर्ष का वित्तीय लाभ प्रत्यक्ष लाभ

हस्तांतरण (डीबीटी) मोड के माध्यम से देश भर के किसान परिवारों के बैंक खातों में अंतरित किया जाता है। किसान-केंद्रित डिजिटल बुनियादी ढांचे ने यह सुनिश्चित किया है कि योजना का लाभ बिचौलियों की भागीदारी के बिना देश भर के सभी किसानों तक पहुंचे। लाभार्थियों के पंजीकरण और सत्यापन में पूर्ण पारदर्शिता बनाए रखते हुए, भारत सरकार ने 11 करोड़ से अधिक किसानों को 2.80 लाख करोड़ रुपये से अधिक का भुगतान किया है। तमिलनाडु राज्य में, योजना की शुरुआत से अब तक 45.83 लाख से अधिक किसानों को 9,945.69 करोड़ रुपये से अधिक. अंतरित किए जा चुके हैं।

(ख): पीएम-किसान के तहत 15वीं किस्त जारी करने में कोई देरी नहीं हुई। अगस्त-नवंबर 2023 की अवधि से संबंधित 15वीं किस्त दिनांक 15/11/2023 को जारी की गई थी।

(ग): शुरुआत से ही पीएम-किसान स्कीम के तहत लाभार्थियों को धनराशि का वार्षिक वितरण इस प्रकार है:

अवधि	**जारी किए गए लाभ (करोड़ रुपये में)**
वित्त वर्ष 2018-19	6,323
वित्त वर्ष 2019-20	48,739
वित्त वर्ष 2020-21	61,931
वित्त वर्ष 2021-22	67,121
वित्त वर्ष 2022-23	58,258
वित्तीय वर्ष 2023-24 (22/11/2023 तक)	38,660

वित्त वर्ष 2022-23 में थोड़ी गिरावट आई। गिरावट का कारण किसानों के लिए अनिवार्य भूमि सीडिंग प्रावधान की शुरूआत और उनके सक्रिय बैंक खाते के साथ आधार को जोड़ना था ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि लाभ सीधे इच्छित लाभार्थियों के खातों में आसानी से स्थानांतरित हो जाएं।

(घ): पीएम-किसान स्कीम की शुरुआत के बाद से, 11 करोड़ से अधिक किसान परिवारों को स्कीम का लाभ मिला है।

(ङ): ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

*****